राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज0, जयपुर)
कमांकः एफ.17(97) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2012/ 5227–5307 दिनांकः 13/8/12

परिपत्र

विषयः– आई.डब्ल्यू.एम.पी योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु दिशा निर्देश।

आई.डब्ल्यू.एम.पी योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

लाभार्थी का चयनः

1. लाभार्थी के पास स्वयं की न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता होनी चाहिये।
2. लधु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
3. लाभार्थी का चयन पीआईए द्वारा जलग्रहण समिति से चर्चा करके किया जावें।

वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने की प्रक्रियाः

1. लाभार्थी अपने खेत में 20 X 15 फीट समतल भूमि का चयन करें, जो थोड़ी ऊंचाई पर हो जिससे वर्षा का पानी न आ सके।
2. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिये छाया वर्मी बैड को तेज रोशनी एवं बरसात के पानी से बचाना हेतु स्थायी प्रकृति की शेड/छाया की व्यवस्था की जावें।
3. शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे पर 8 फिट हो।
4. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्वेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावें।
5. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिये 15 फीट लम्बी, 3 फीट चौडी बेड्स तैयार की जावें। बेड्स के चारों तरफ ईटों की दोहरी दीवार बनाई जावें।
6. प्रत्येक शेड में उक्त आकार की कम से कम 3 बेड्स बनाई जावें व बेड्स का तल कच्चा रखा जावें।
7. जैविक अवशेष से कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े आदि निकालकर अलग करें।
8. 15 X 3 फीट के बेड में सर्वप्रथम 6 इंच तक खेत का सड़–गल सकने वाले कचरे की तह बिछाये।
9. उपरोक्त ढेर पर एक पतली परत पूर्व में बनी हुई गोबर या केचुएं के खाद की डाले।
10. गोबर को बैड में डालने से पहले 2–3 दिन तक पानी छिड़कर टण्डा करें।
11. दो–तीन दिन पूर्व में तैयार गोवर की गाड़े धोल की एक पतली परत बिछाये एवं पानी से अच्छे प्रकार से छिड़काव करें।
12. तद्पश्चात् कूड़े–कचरे की तह बिछाकर गोबर का धोल उपरोक्तानुसार बनाकर छिड़काव करें।
13. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहे जब तक कि ढेर 1.5 फीट ऊंचा न हो जाये।

14. बेड को केले के पत्ते, टाट या अन्य जैविक अवशेषों से ढक देना चाहिए, क्योंकि केंचुए अंधेरे में अधिक क्रियाशील होते है।
15. इसी प्रकार अन्य बेड तैयार करे एवं इस पूरे क्षेत्र की छाया हेतु स्थायी ढांचा बनाया जावें।
16. प्रत्येक बेड में 10 किलो केंचुएं छोड़े जावें। इस प्रकार एक इकाई के लिये कम 30 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
17. केंचुएं एटीसी, के.वी.के., रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावें। केंचुएं आपूर्ति की दरें एटीसी/के.वी.के. की लागू होगी।
18. वर्मी बेड में 25–30 दिन बाद ट्राइकोडर्मा, एजेक्टोबेक्टर पीएसबी आदि (400 ग्राम प्रत्येक) को 14 लीटर पानी में मिलाकर बेड के ऊपर छिड़काव करने से वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषक इसी समय एक किलोग्राम नीम की खल को मिलाकर भी इसकी गुणवत्ता बढा सकते है।
19. 30–35 प्रतिशत नमी बनाये रखने के लिये झारे की सहायता से पानी का छिड़काव समय–समय पर करते रहे।
20. लगभग 50–60 दिन में केंचुएं जैविक अवशेषों व गोबर को वर्मी कम्पोस्ट खाद में बदल देंगे।
21. तैयार वर्मी कम्पोस्ट काले भूरे रंग की होगी तथा इसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होगी।
22. तैयार खाद को छाया में ढेर के रूप में एकत्रित करले, तथा पानी देना बंद कर दे।
23. 5–6 दिन बाद खाद को ऊपर से इकट्ठा कर बोरी में भरकर ठण्डे स्थान पर रखे तथा नीचे बची हुए खाद को छलनी से छान कर केंचुएं को अलग कर ले, जिन्हें अलग से काम में लिया जा सकता है।
24. इस प्रकार प्रक्रिया को दोहरा कर किसान एक ही यूनिट से वर्ष में 4–5 बार वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर सकता है।
25. इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष केंचुएं के संख्या भी करीब दुगुनी से अधिक हो जाती है, जिसे विपणन कर या अन्य इकाईयों में काम लेकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।
26. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिय सहायक सामग्री जैसे– कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा झाजा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावें।

सहायता प्रक्रिया:

1. लाभार्थी आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए जलग्रहण समिति को आवेदन करना होगा। जलग्रहण समिति की बैठक में सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया जावेगा। जलग्रहण विकास दल के कृषि विशेषज्ञ अनुशंसा पर प्रस्ताव पी.आई.ए. द्वारा जॉच कर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर को स्वीकृती हेतु प्रेषित किया जावेगा।
2. स्वीकृती जारी करने पूर्व परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान से आवेदन का तकनिकी परिक्षण करायेगे तथा यह सत्यापित करायेगे कि लाभार्थी द्वारा पूर्व में उद्यान विभाग की योजना से उक्त इकाई हेतु अनुदान नही लिया गया है।
3. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 10 रूपये के स्टाम्प पर लाभार्थी से शपथ–पत्र लिया जावें।

4. उपरोक्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना से वास्तविक लागत के बराबर (अधिकतम 24,000/– रूपये) सहायता देय होगी।
5. सामान्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी को लागत का क्रमशः 20% तथा 10% अंशदान के रूप में डब्ल्यू.डी.एफ. में जमा करानी होगी।
6. पी.आई.ए. या उसके प्रतिनिधि द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही सहायता राशि जारी की जावें।
7. वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थल पर स्थाई रूप से लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, कुल लागत, स्थापित वर्ष तथा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना से प्राप्त सहायता का विवरण अंकित कर बोर्ड लगाया जावें।
8. कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ पी.आई.ए. के कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावें।
9. लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान चैक/डी.डी. द्वारा किया जावें।
10. लाभार्थी के चयन के पश्चात उनकी क्षमता सवर्धन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जावें जिसमें इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो का भ्रमण भी सम्मिलित होवें। जिलें के संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान से सम्पर्क कर के.वी.के./ए.आर.एस./ए.टी.सो. जैसी संस्थाओं के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जावें। इस पर होने वाला व्यय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण मद में उपलब्ध राशि (5प्रतिशत) में से किया जा सकता है।
11. कृषि/उद्यान विभाग की योजनाओं से यथा सम्भव समेकन (convergance) किया जावें।

निदेशक

क्रमांकः एफ.17(97) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2012/ 5227 -5307 दिनांकः 13/8/12
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. आयुक्त, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, उद्यान विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि.एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (I/II) निदेशालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)/एम.आई.ई.एस./परियोजना अधिकारी (भूसंसाधन) निदेशालय, जयपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त) को भेजकर लेख है कि परिपत्र की प्रति सभी सबंधित पी.आई.ए. को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. सहायक निदेशक, (समस्त) उद्यान विभाग, ————————।
9. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।

निदेशक